

प्रकरण सं 07/118 दि. 7.5.18

प्रपत्र-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

.....  
.....

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हरपालीमा की जमाबन्दी

संवत्.....2070-73 खाता संख्या 22 में -

अली	जिमाल	हाजीसदा	यि	मिलमान	सुमार	वल्द
अदला	जिया	जो	अदला	1112	अदलय	वल्द सालाट 1/3
जकीयत	जो	मुसा	शकुट	वल्द	खैय	2/5 खुडुरखा वल्द
खैरा	13/36	श्रीम	मुसलमान	सा	देह	खातेदार
उल्द	ब्यखर	(लाल लडिन वल्द)	अदर	वर्तनी	से	दा
नाम	हो	गये	है	अतः	शुद्ध	नाम रसकुट वल्द खैय
वर्तनी	हो	आदेश	प्रमाण			

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

सकुर  
.....

दिनांक : 7/5/18

प्रकरण सं 07/18 दि. 25/18

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्री. प्राधी शकुल वल्द खेरा व सकुल वल्द खेरा रख हि

व्यक्ति हैं। लिपिबद्ध शुद्ध से चे नाम अलग 2 ही गये हैं

जबकि दीना रख हि व्यक्ति होने से इसका शुद्ध नाम

सकुल वल्द खेरा करने के अनुशंथा के जाती है।

नोट - संलग्न 2 दस्तावेज आधार कार्ड व परिचय पत्र के द्वारा सकुल वल्द खेरा संदिग्ध हैं जो शुद्ध नाम है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

25/18  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

पटवारी व भू.अ.नि. निरीक्षण की जांच रिपोर्ट व  
संलग्न साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर प्राधी  
का नाम "शकुल वल्द खेरा" के स्थान पर "सकुल वल्द  
खेरा" दुरुस्त करने की अनुशंथा  
की जाती है। 25/18

आदेश

तहसीलदार सेवा, P.R. सारला, पटवारी दृष्टपालिका, उपखण्ड अधिकारी  
रिपोर्ट एवं प्राधी द्वारा परिचय पत्र के साथ पेश दस्तावेजों  
के आधार पर प्राधी का परिचय पत्र खोला कर उसका नाम  
शकुल वल्द खेरा के स्थान पर शुद्ध नाम सकुल खां वल्द  
खेरा दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त मुद्दा  
संबंधी रिकॉर्ड में उक्त दस्तावेजों का तहसीलदार सेवा की  
की जांच किया जाता है। पत्राचार के लिए उप-खण्ड अधिकारी  
हो।



उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन